

बिहार सरकार
मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग
(निबंधन)
अधिसूचना

सं० सं०-10/नि०-10-(MVR पुनरीक्षण)-03/20264060...../भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 3 के तृतीय परन्तुक [बिहार वित्त अधिनियम, 2001 (अधिनियम सं०-11,2002) द्वारा यथा अन्तः स्थापित] के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, बिहार उक्त अधिनियम की अनुसूची-1A के अनुच्छेद सं०-23 एवं 33 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित करते हैं:-

अनुच्छेद संख्या	दस्तावेज का प्रकार	देय स्टाम्प ड्यूटी
23	अभिक्रमण पत्र (विक्रय पत्र मात्र)	(क) पुरुष से महिला को अंतरण की स्थिति में 6.6% (ख) अन्य परिस्थितियों में 7%
33	दान-पत्र	(क) पुरुष से महिला को अंतरण की स्थिति में 6.6% (ख) अन्य परिस्थितियों में 7%

- राज्य में भूमि/संपत्ति के निबंधन में स्टाम्प शुल्क की सामान्य दर 7% निर्धारित की जाती है।
- उक्त स्टाम्प ड्यूटी की दरें अधिसूचना निर्गमन की तिथि से प्रभावी होंगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(अजय यादव)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-10/नि०-10-(MVR पुनरीक्षण)-03/20264060...../ पटना, दिनांक-18.06.2026
प्रतिलिपि- उपर्युक्त अधिसूचना का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन उक्त राज्यादेश का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायगा।


सरकार के सचिव।

Government of Bihar
Department of Prohibition, Excise & Registration
(Registration)
Notification

F.No. 10/Ni-10-(MVR Punirakshan)-03 / 2026.....⁴⁰⁶⁰...../In exercise of the powers conferred by 3rd proviso of Section-3 of the Indian stamp Act, 1899 {as inserted by the Bihar Finance Act, 2001(Act No-11 of 2002)}, the Governor of Bihar is pleased to substitute the Article no 23 and 33 of schedule-1A of the said Act by the following:-

Article No.	Types of Document	Stamp Duty Payable
23	Conveyance (Sale deed only)	(a) In case of transfer from male to female 6.6% (b) In any other case 7%
33	Gift deed	(a) In case of transfer from male to female 6.6% (b) In any other case 7%

2. The general rate of stamp duty for the registration of land/property in the state is fixed at 7%.
3. Rates of the said Stamp duty shall be effective from the date of issuance of the notification.

By the order of Governor of Bihar,


(Ajay Yadav)
Secretary to the Government.

ज्ञापांक:- 10/नि0-10-(MVR पुनरीक्षण)-03/2026 4060 / पटना, दिनांक- 18.06.2026
प्रतिलिपि:- वित्त विभाग, ई-गजट कोषांग, बिहार पटना को सी0डी0 सहित/अधीक्षक,
राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-800017 को बिहार राजपत्र के आगामी
अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि गजट की 500 (पाँच सौ) प्रतियाँ
विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक:- 10/नि0-10-(MVR पुनरीक्षण)-03/2026 4060 / पटना, दिनांक- 18.06.2026
प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक
कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक:- 10/नि0-10-(MVR पुनरीक्षण)-03/2026 4060 / पटना, दिनांक- 18.06.2026
प्रतिलिपि:- मुख्य सचिव, बिहार, पटना/सभी अपर मुख्य सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान
सचिव/सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी
समाहर्ता-सह-जिला निबंधक/माननीय मंत्री, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन
विभाग के आप्त सचिव/मुख्यालय स्थित सभी विभागीय पदाधिकारी/सहायक
निबंधन महानिरीक्षक (सभी प्रमण्डल)/जिला अवर निबंधक (सभी)/अवर
निबंधक (सभी/कोषागार पदाधिकारी (सभी) को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव।